

**“प्ररूप सं. 15छ”**

[धारा 197क(1) और धारा 197क(1क) और नियम 29ग देखें]

सोल आईडी	
ग्राहकआईडी	
वि.वर्ष	
यूआईएन	

कर की कटौती के बिना कतिपय आयों का दावा करने वाले किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा ( जो कंपनी या फर्म न हो) की जाने वाली धारा 197क(1) और धारा 197क(1क) के अधीन घोषणा.

**भाग - 1**

1.निर्धारिती (घोषणाकर्ता का नाम)		2. निर्धारिती का स्थायीलेखा संख्यांक <sup>1</sup>	
3. प्रास्थिति <sup>2</sup>		4. पूर्व वर्ष (पू.व.) <sup>3</sup> (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)	
6. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक संख्या		7. परिसर का नाम	
9. क्षेत्र/अवस्थान		10.नगर/शहर/जिला	
11. राज्य		12. पिन	
13. ई-मेल		14. टेलीफोन संख्या (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल संख्या	
15. (क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर का निर्धारण हुआ है <sup>5</sup> : <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (ख) यदि हाँ तो, अंतिम निर्धारण वर्ष जिसके लिए निर्धारण किया गया है			
16. अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है		17. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 16 में वर्णित आय को समाविष्ट किया जाना है <sup>6</sup>	
18. पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप संख्या 15छ के ब्यौरे, यदि कोई हों <sup>7</sup>			
फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15छ की कुल संख्या		आय की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप सं. 15छ फाइल किया गया है	
19. आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है			
क्र. सं.	सुसंगत विनिधान/लेखा की पहचान संख्या आदि <sup>8</sup>	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य है
			आय की रकम

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

**घोषणा/सत्यापन<sup>10</sup>**

\* मैं/हम.....यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि \*मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही, पूर्ण और सत्य है. \*मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्ररूप में निर्दिष्ट आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है. \*मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय पर कर, स्तंभ 16\* में निर्दिष्ट \*आय/आयों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 18 में निर्दिष्ट \*आय/आयों की संकलित रकम निर्धारण वर्ष ..... से सुसंगत ..... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए शून्य होगा. \*मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि \*मेरी/हमारी स्तंभ 16 में निर्दिष्ट \*आय/आयों और निर्धारण वर्ष .... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए स्तंभ 18 में निर्दिष्ट \*आय/आयों की कुल रकम उस अधिकतम रकम जो कि आयकर के लिए प्रभाय नहीं है से अधिक नहीं होगी.

स्थान:.....

तारीख:.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें

**प्ररूप 15छ की पावती**

हम प्ररूप 15छ की पावती देते हैं

श्री/श्रीमती/कुमारी: .....

पैन संख्या: ..... वित्तीय वर्ष के लिए: .....

दिनांक:

शाखा की सील

शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर

\*नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत में नया प्ररूप 15छ/ज जमा करें.

यूआईएन:.....

ग्राहकआईडी:.....

## भाग 2

(भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम:	
2. विशिष्ट पहचान संख्या <sup>11</sup> :	3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पैन:
4. पूरा पता:	
5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैम:	6. ई-मेल:
7. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या:	8. संदत्त आय की रकम <sup>12</sup>
9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन/मास/वर्ष)	
10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया/उसे जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	

स्थान: .....

तारीख:.....

### भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें

1. धारा 206कक (2) के उपबंधों के अनुसार, धारा 197क(1) या 197क(1क) के अधीन घोषणा तब अविधिमाम्य होगी जब घोषणाकर्ता अपना विधिमाम्य स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) प्रस्तुत करने में असफल रहता है।
2. घोषणा किसी व्यक्ति द्वारा धारा 197क(1) के अधीन और व्यक्ति (किसी कंपनी या फर्म से भिन्न) द्वारा 197क(1क) के अधीन प्रस्तुत की जा सकती है।
3. वह वित्त वर्ष जिससे आय संबंधित है।
4. कृपया आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार आवासीय प्रास्थिति का उल्लेख करें
5. यदि उस वर्ष, जिसमें घोषणा फाइल की जाती है, से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन कर का निर्धारण किया गया है तो कृपया "हाँ" का उल्लेख करें।
6. कृपया पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए घोषणा फाइल की जाती है, की अनुमानित आय की रकम का, जिसके अंतर्गत आय की वह रकम भी है जिसके लिए घोषणा की गई का उल्लेख करें।
7. यदि कोई घोषणा (घोषणाएँ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व प्ररूप संख्या 15छ में फाइल की जाती है (हैं) तो आय की संकलित रकम जिसके लिए उक्त घोषणा (घोषणाएँ)फाइल की गई है (हैं), के साथ फाइल किए गए ऐसे प्ररूप संख्या 15छ की कुल संख्या का उल्लेख करें।
8. शेरों, सावधि जमा का खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत स्कीमों, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या कर्मचारी कोड आदि की सुभिन्न संख्या का उल्लेख करें
9. उस हैसियत का उल्लेख करें जिसमें हिन्दू अविभक्त कुटुंब एओपी आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की जाती है
10. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई सूचना सभी बाबत सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर-  
(i) उस मामले में जहां पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर अपवंचना किए जाने की ईप्सा की गई है वहाँ कठिन कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा  
(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा
11. भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी प्ररूप संख्या 15छ में विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई स्रोत पर कर कटौती विवरणी में आयकर नियम 1962 के नियम 31क(4)(vii) में विहित विशिष्टियों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा। यदि उसी तिमाही के दौरान व्यक्ति ने प्ररूप संख्या 15छ भी प्राप्त किया है तो कृपया प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज के लिए क्रम संख्यांक की पृथक् क्रम आबंटित करें।
12. भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति घोषणा वहाँ स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम और या उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाती है, के दौरान जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने के लिए संभाव्यतया संदाय किए जाने के लिए संभाव्यतया ऐसी आय का योग उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है। पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 16 या 18 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई, यथास्थिति, आय या आयों की सकल रकम का सत्यापन करें।

✂-----✂-----✂-----